# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 490 /FP/UK/ROAD/47308/2020 देहरादून:दिनांक: 20 अगस्त, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील गुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–358 / 12–1(2) दिनांक 28–07–2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. वैकल्पिक एवं वर्तमान संरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.16 (बांज वृक्ष प्रभावित होने के प्रमाण–पत्र) में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति / हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.20 (राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होने अथवा न होने के प्रमाण–पत्र) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
6. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियाँ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य विन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों / सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों / सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 490 /FP/UK/ROAD/47308/2020 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट, जनपद–पिथौरागढ़ को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक